



उद्धरण खतौनी



उद्धरण क्रमांक : 143546202601710

ग्राम क्रमांक : 143546 ग्राम का नाम (परगना) : सेंवई (बिजनौर) तहसील : सरोजनी नगर जनपद : लखनऊ फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00233

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिगत के अधिकार में हो

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण			भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व	
437	1) शीतल इन्द्र देवतसर्व प्रा.ति. / द्वारा डाक्रेकर विमल कुमार / कार्या. सी- 2195 इन्दिरा नगर लखनऊ		1421फ.	437(1435460437000012)	0.1900	1) 1/1	1) 0.1900	95.84	
कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1900 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 95.84 रुपये		कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.1900) (हेक्टेयर)							
नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण		खारिज किया गया			दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)			
		437(1435460437000012)			437(1435460437000012)				

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :	
(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति	
(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/छातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :	
(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/छातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :	
(19) अभ्युक्ति :	
पूर्व आदेशों का विवरण	
1) आदेश न्यायालय अस्सि. कलेक्टर (प्र.श्रे.)/उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर, लखनऊ वाद सं.03/2015-16 धारा 143 उ.प्र. जमी.वि. एवं भू. व्य. अधि. ग्राम सेंवर्ड की खतौनी वर्ष 1419-1424 के खाता सं. 51 की गाटा सं. 406 भि/0.1520.411 भि/0.1070.427 सं/0.084 है. व खसरा सं. 416/0.1950 है. 2) कुल रकबा 0.5380 है. मा.गु. 60 ख को अकृषिक घोषित किया जाता है अन्य नियमों व मास्टर प्लान पर प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमत्य हो यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन कुक्कुट पालन बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु 3) उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. के तहत तहसीलदार को आख्या प्रस्तुत करेंगे पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा ह.र.का. 30.1.16 4) आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा. कले. (प्र.श्रे.) सदर लखनऊ वाद सं. 513/14-15 शीला इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा. लि. बनाम उ.प्र. सरकार धारा 143 जेड.ए.एल.आर. एक्ट ता. फे. 19.2.15 ग्राम सेंवर्ड परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खसरा सं. 440/0.253 है, 413/0.330 है, 433/0.266 है, 405/ 5) 0.076 है. कुल 4 किता कुल रकबा 0.925 है. पूर्ण व 404/0.436 है, 400/0.021 है, 407/0.167 है, 439/0.185 है. कुल 4 किता कुल रकबा 0.809 है. में से रकबा 0.4045 है, 445/0.299 है. पूर्ण व 419/1/0.038 है, 437/0.190 है. कुल 2 किता कुल रकबा 0.228 है. रकबा 1.8566 है. भूमि को 6) कृषि प्रयोजन से भिन प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमत्य होगा ह.र.का. 30.3.15 7) न्यायालय अस्सि0 कलेक्टर (प्र0श्रे0)/ उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र. ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 29.01.16 छातेदार उमेश कुमार पुत्र स्व. श्रीपाल के नाम दर्ज ग्राम सेंवर्ड परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की खसरा संख्या 396 सं./1.0120, खसरा संख्या 414/0.0250 है. मा.गु. 60 ख को अकृषिक घोषित किया जाता है यह घोषणा मात्र मालगुजारी की दृष्टि से की जा रही है अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार अनुमत्य होगा यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. के तहत तहसीलदार आख्या प्रस्तुत करेंगे पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश ्वस्तः निरस्त माना जायेगा ह.र.का./30.1.16 न्यायालय अस्सि. कलेक्टर (प्र.श्रे.)/ उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र. ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 02.03.16 ग्राम सेंवर्ड परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ भूमि से सम्बन्धित वाद धारा 166/167 ज.वि. एवं भू. व्य. अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त वाद में दि. 29.01.16 को पारित आदेश निरस्त किया जाता है ह.र.का. 14.03.16 न्यायालय अस्सि. कलेक्टर (प्र.श्रे.)/ उपजिलाधिकारी सरोजनी नगर लखनऊ वाद संख्या 05/2015-16 धारा 143 उ.प्र. ज.वि. एवं भू. व्य. अधि. उमेश कुमार बनाम उ.प्र. सरकार आदेश दिनांक 01.02.16 ग्राम सेंवर्ड परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर लखनऊ की गाटा सं. 396 सं./1.0120 है. व गाटा सं. 414/0.025 है. को अकृषिक घोषित किये जाने सम्बन्धी आदेश दि. 29.01.16 वापस लिया जाता है ह.र.का. 04.04.16	

Data Digitally Signed by: INDAL PAL/REVENUE KANOONGO)

दिनांक/समय/स्थान: 31-01-2026 01:59:20 परतोल : सरोजनी नगर

यह उदघात खतौनी रेलैटिवीक दिनांक 29.01.16 वापस लिया जाता है

मुद्रित कर्ता : AJAY SHUKLA तहसील : सरोजनी नगर
मुद्रित दिनांक एवं समय: 31-01-2026 01:59:20
Not Applicable For Online Prints अनेक उदघात खतौनी का वेबसाइट <https://upbhuilekh.gov.in> Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।

